बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प :: —

/पटना, दिनांक :— 2-9-24

मुंगेर जिलान्तर्गत खड़गपुर—बरियारपुर PWD मुख्य पथ से शामपुर बागेश्वरी ग्राम होते हुए मंझगाँव भगवती स्थान तक पथ निर्माण में हो रही अनियमितता के लिए श्री प्रेम शंकर तिवारी तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर—तारापुर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र—'क' गठित कर विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु इनके पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

जल संसाधन विभाग द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निर्गत संकल्प में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के किसी सक्षम पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया। तदालोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त उक्त मामले में विभागीय कार्यालय आदेश सं0—52—सह—पठित ज्ञापांक—1712 दिनांक 18.11.2021 द्वारा श्री राधा रमण सिंह, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जल संसाधन विभाग के पत्रांक 2163 दिनांक 06.09.2022 द्वारा सूचित किया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नियुक्त/नामित प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही में स्मारित किये जाने के बावजूद सरकार का पक्ष नहीं रखा जा रहा है और न ही संचालन पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया गया है। उक्त के आलोक में श्री राधा रमण सिंह, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर द्वारा विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष नहीं रखने और न ही संचालन पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करने संबंधी आरोपों पर विभागीय पत्रांक 2112 दिनांक 15.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिंह के पत्रांक 46 दिनांक 26.05.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया जिसमें मुख्यतः यह कहा गया है कि उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में संधारित कोई भी संचिका या अभिलेख पूर्व नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। संचालन पदाधिकारी के उच्चतर प्रभार के स्थान पर कार्यकारी प्रभार प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही की सुनवाई में विलम्ब होने का उल्लेख श्री सिंह द्वारा किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि निर्धारित सुनवाई की तिथि 24.09.2022 को वे उपस्थित हुए परन्तु संचालन पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। माह जून—2022 में उनका स्थानान्तरण कार्य प्रमंडल, गोगरी अंतर्गत कार्य अवर प्रमंडल, बेलदौर एवं गोगरी (अतिरिक्त प्रभार) हो जाने के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी से संपर्क स्थापित नहीं कर पाने का उल्लेख श्री सिंह द्वारा किया गया।

3. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी तथा यह पाया गया कि यदि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में संधारित कोई संचिका/अभिलेख श्री प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया था तो इस स्थिति में वे विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराते। साथ ही श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उनके प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी

की नियुक्ति के उपरान्त लगभग 10 माह पश्चात् संचालन पदाधिकारी के समक्ष निर्धारित की गई सुनवाई में उपस्थित होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इसके पूर्व संचालन पदाधिकारी से संपर्क किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख श्री राधा रमण सिंह द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4. समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राधा रमण सिंह तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोगरी को दोषी पाया गया है तथा इनके विरूद्ध लघु दंड के रूप में दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राधा रमण सिंह तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोगरी को निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः—

(i) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/08/24

(डा0 फातेह फैयाज)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—541/2012 2364 /पटना, दिनांकः— 2-9-24

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

30/08/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—541/2012 2364 /पटना, दिनांकः— 2-9-24

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/08/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 3/अ०प्र०—1—541/2012 2364 /पटना/दिनांकः— 2.9.24

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/सहरसा/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोगरी/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री राधा रमण सिंह तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/08/24

संयुक्त सचिव